भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 234
दिनांक 30.11.2021/ 9 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू और कश्मीर में पूंजी निवेश

234. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 क को समाप्त करने के पश्चात् जम्मू और कश्मीर में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कश्मीर और लद्दाख में पूंजी निवेश बढ़ने और नई कंपनियों के आने से विकास कार्यों का बढ़ावा मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और :(ख) सरकार ने जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए दिनांक 19.02.को 2021 'न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम' अधिसूचित की है, ताकि पूंजी का निवेश करने के लिए निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। इसे जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30, जम्मू और कश्मीर निजी औद्योगिक सम्पदा विकास नीति 2021- 30 तथा जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमी आबंटन नीति 2021- 30 द्वारा सम्पूरित किया गया है।

(ग) और (घ): पर्यटन, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों और निर्माण, सड़क, विद्युत इत्यादि जैसे बुनियादी ढांचे में निवेशों से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

******